मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी.मार्ग,
नई दिल्ली - 110002
www.esic.nic.in

दिनांक : 30 मई, 2017

सं. एन -11/1/1/96-हितलाभ-II

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय निदेशक/ निदेशक / प्रभारी संयुक्त निदेशक

क्षेत्रीय कार्यालय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय,

सभी वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त / राज्य चिकित्सा आयुक्त / चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.अस्पताल

क.रा.बी. निगम

…………………………………………

विषय : दिनांक 01.01.2017 से बीमायोग्य रोजगार में पुनः प्रवेश करने वाले बीमाकृत व्यक्तियों/ बीमाकृत महिलाओं के लिए विस्तारित बीमारी हितलाभ / अति विशिष्टता उपचार की व्यवस्था.

महोदय / महोदया,

मुख्यालय के संज्ञान में दृष्टांत आए हैं कि उन बीमाकृत व्यक्तियों, जो पूर्व की उच्चतम मजदूरी सीमा 15000/- रु. को पार करने के कारण व्याप्ति से बाहर हो गए थे और बाद में दिनांक 01.01.2017 से मजदूरी की उच्चतम सीमा में वृद्धि के कारण बीमायोग्य रोजगार में पुनः प्रवेश कर गए, को रुकावट अवधि की गणना पर संदेह की वजह से हितलाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि शाखा कार्यालय मैन्युअल, अध्याय VIII, पैरा एल.8.15.2.सी- पर निगम के दिनांक 05.12.1999 के संकल्प में कहा गया है कि मजदूरी में वृद्धि के कारण कोई व्यक्ति बीमायोग्य रोजगार की व्याप्ति से बाहर जा सकता है और बाद में व्याप्ति के अंदर लाया जा सकता है. "निरंतर सेवा" की शर्त के प्रयोजनार्थ रुकावट की अवधि बीमायोग्य रोजगार के रूप में ली जाए. अतः, ऐसे बीमाकृत व्यक्ति / बीमाकृत महिलाएं विस्तारित बीमारी हितलाभ एवं अति विशिष्टता उपचार पाने के लिए पात्र हैं बशर्ते वे क.रा.बी.विनियमावली और इन हितलाभों के पात्रता हेतु समय-समय पर मुख्यालय द्वारा जारी अनुदेशों के अंतर्गत पात्रता की शर्तों को पूरा करते हों.

उपर्युक्त उद्धरण को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं अपने अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत सभी संबंधितों को निदेश दें कि दिनांक 01.01.2017 से बीमायोग्य रोजगार में पुनः प्रवेश करने वाले बीमाकृत व्यक्तियों/ बीमाकृत महिलाओं के द्वारा विस्तारित बीमारी हितलाभ / अति विशिष्टता उपचार का लाभ उठाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें.

इसे बीमा आयुक्त (हितलाभ) के अनुमोदन से जारी किया जाता है.

भवदीय,

(एस. एस. श्रीवास्तव)
उप निदेशक (हितलाभ)

प्रतिलिपि :

1. निदेशक, क.रा.बी. योजना को सूचनार्थ.
2. सभी अधिकारी एवं शाखाएं, मुख्यालय.
3. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु.
4. निदेशक, सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी को प्रणाली मॉड्यूल में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु.
5. गार्ड फाइल.